135

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 2660–पीबीआर/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 10–7–2014 – पारित – व्दारा – आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर – प्रकरण कमांक 5(1) 2014–15/2225

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमि0
सेहतगॅज जिला रायसेन मध्य प्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त,म0प्र0ग्वालियर
2– उपायुक्त आबकारी,संभागीय उड़नदस्ता
जबलपुर मध्य प्रदेश
3– जिला आबकारी अधिकारी छिन्दवाड़ा
4– जिला आबकारी अधिकारी,सोम डिस्टलरीज
प्राय0लिमि0 सेहतगंज जिला रायसेन ---रिस्पा0

(अपीलांट के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(रिस्पा0 की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 7 – 2016 को पारित)

यह अपील आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 5(1) 2014–15/2225 में पारित आदेश दिनांक 10–7–2014 के विरूद्ध म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रिस्पाण्डेन्ट कमांक-1 व्दारा वर्ष 2011-12 में अपीलांट को इमलिया बोहता जिला छिंदवाड़ा में देशी मदिरा की बाटलिंग करने हेतु सी0एस0-1-ख लायर्सेस आदेश दिनांक 11-5-2011 से स्वीकृत किया गया। लायर्सेस स्वीकृति के साथ अपीलांट पर आबकारी आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 10-7-14 में वर्णित अनुसार चार शर्ते अधिरोपित की गई। अपीलांट व्दारा शर्तो का निर्वहन भलीभॉति न करने पर रिस्पाण्डेन्ट कमांक-1 ने पत्र कमांक 5(1) 2012-13/3392 दिनांक 10-12-2012 से कारण बताओ नोटिस जारी कर उत्तर तलब किया। अपीलांट ने कारण बताओ नोटिस दिनांक 10-12-12 के बचाव में लेखी उत्तर दिनांक 17-12-12 प्रस्तुत किया, जिस पर से आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 5(1) 2014-15/2225 में आदेश दिनांक 10-7-2014 पारित किया तथा लायर्सेस की शर्तो का पालन विलम्ब से प्रस्तुत मानकर 10 जून से 25 जनवरी 14 तक कुल 961 दिवस नियम 3-ख(10) का उल्लॅघन मानते हुये प्रथम 6 माह जून 2011 से नवम्बर 2001 तक कुल 604 दिवस के लिये 100/-रू. प्रतिदिन के मान से रूपये 17,400/- , द्वित्तीय 6 माह दिसम्बर 2011 से मई 2012 अर्थात 183 दिवस के लिये रू. 125/- प्रतिदिन के मान से कुल रूपये 22,875/- एंव जून 2012 से जनवरी 2014 तक कुल 604 दिवस के लिये 150/-रू. प्रतिदिन के मान से रू. 90,000/- इस प्रकार कुल 1,80,875/- रू. की शास्ति अधिरोपित कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 5(1) 2014-15 का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आबकारी आयुक्त, म0प्र0ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 5(1) 2014-15/2225 में पारित आदेश दिनांक 10-7-2014 के पद एक में इस प्रकार अंकन किया है कि :-

" वर्ष 2011-12 में मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि.जिला रायसेन को इमलिया बोहता जिला छिंदवाड़ा में देशी मदिरा की बॉटलिंग करने हेतु सी.एस. 1-ख लायर्सेस इस कार्यालय के पत्र कमांक 5(1)11-12/1553-54 दिनांक 11-5-11 से स्वीकृत किया गया था।

2- आसविक को म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 3-ख(10) अनुसार निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था -

1. भवन का निर्माण और संयत्र तथा मशीनरी स्थापित करने का कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र.
2. स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल का सम्मिति पत्र
3. राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से अपेक्षित अधिप्रमाणन का निर्वाधा प्रमाण पत्र
4. काउन्टर पार्ट एग्रीमेंट रूपये 350/-के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर।

प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि जब आदेश दिनांक 11-5-11 से अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई एंव 10-6-11 को पुनः पत्र भेजकर अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा की गई कि वह शर्तो के पालन में उक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे और नियत समयावधि में लायर्सेंसी ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये, तब रिस्पाण्डेन्ट कमांक-1 ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिनांक 10-12-12 की अवधि तक बॉटलिंग कार्य क्यों करने दिया, शासन के पैनल अभिभाषक समाधान नहीं करा सके।

4/ आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 10-7-2014 के अवलोकन पर स्थिति यह पाई गई कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिनांक 10-12-12 तक शर्तो का पालन न करते हुये भी अपीलांट डिस्टी. बॉटलिंग कार्य करती रही एंव आबकारी अमला अनदेखी करता रहा । अपीलांट ने कारण बताओ नोटिस दिनांक 10-12-12 के बचाव में लेखी उत्तर दिनांक 17-12-12 प्रस्तुत किया, उसके संलग्न भवन निर्माण पूर्ति प्रमाण पत्र, प्रदूषण निवारण मण्डल का सहमति पत्र, एंव बाटलिंग प्लांट नगरीय क्षेत्र में स्थित न होने तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित होने से ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया अर्थात आबकारी आयुक्त,म0प्र0ग्वालियर को समाधान करवा दिया। आबकारी आयुक्त ने आदेश के पद-7 में स्वीकार किया है कि नगर तथा ग्राम निवेश का भी सहमति पत्र प्रस्तुत किया है , परन्तु उन्होंने प्रमाण पत्रों को विलम्ब से प्रस्तुत करने के आधार पर अपीलांट पर आदेश दिनांक 10-7-14 से उपरोक्त पद 2 में वर्णित शास्ति अधिरोपित की है, जबकि आबकारी आयुक्त का दायित्व था कि लायर्सेंस की शर्तो अनुसार

प्रमाण पत्र यदि समय पर प्राप्त नहीं थे, अपीलांट को बॉटलिंग कार्यानुमति प्रदान नहीं करना थी। अपीलांट अपेक्षित प्रमाण पत्र नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर उत्तर के संलग्न प्रस्तुत कर चुका है इसके वाद भी विभाग व्दारा की गई त्रृटि पर ध्यान न देकर आबकारी आयुक्त , म0प्र0 ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 10-7-14 से अपीलांट को दंडित करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 5(1) 2014-15/2225 में पारित आदेश दिनांक 10-7-2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अपील स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर